



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-155

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271499 दिनांक 13/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Prem Devi Meena W/o BABU LAL MEENA एवं Babu Lal Meena S/o NATHU LAL MEENA	श्रीमती हेमलता पारवानी पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र पारवानी	4	177.19 SQ. YARD	Private	ROYAL COURT Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी योजना रॉयल कोर्ट श्री गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 177.19 व.मी. की लीज डीड श्रीमती हेमलता पारवानी पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र पारवानी के पक्ष में दिनांक 12.02.2021 को जारी की गई है। तत्पश्चात श्रीमती हेमलता पारवानी द्वारा श्रीमती कविता कौशिक पत्नी श्री मनीष कौशिक पुत्री श्री भोजराज संगतानी के पक्ष में रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 20.06.2022 एवं शुद्धी पत्र नाप नहीं दर्शाने के कारण दिनांक 19.05.2025 को निष्पादित किया गया है। श्रीमती कविता कौशिक द्वारा श्रीमती प्रेम देवी मीना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.2025 के द्वारा विक्रय किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Prem Devi Meena W/o BABU LAL MEENA एवं Babu Lal Meena S/o NATHU LAL MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |